

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 20/10/21 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल-2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं०-2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 20/10/21 को अपरान्ह 04:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
- 3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
- 4-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।
- 5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।
- 7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।
- 8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, सहारनपुर।
- 9-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई, सहारनपुर।
- 10-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा नई ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु फर्म मै० गायत्री प्रोजेक्ट लि० तथा रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर (जे०वी०), 6-3-1090, टी०एस०आर० टावर, गुमाजीगुणा राजभवन रोड़, हैदराबाद को को सहारनपुर जनपद हेतु चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 366 ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में, पूर्व में कुल 60 नग ग्रामों हेतु 60 परियोजनाएं अनुमानित लागत रू० 16225.29 लाख अधिशाली निदेशक, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। आज दिनांक को 20 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० जिसकी कुल अनुमानित लागत रू० 5645.49 लाख प्रस्तुत की जा रही हैं, (संलग्नक-1)। डी०पी०आर० विरचन हेतु गाइडलाईन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- 1-Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical माडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
- 2-नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
- 3-अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
- 4-सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 घंटा लिया जाये।
- 5-वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एमएम रखा जाये एवं 200 एम०एस० व्यास तक एच०डी०पी०ई० पाइप एवं 200 एमएम व्यास से अधिक हेतु डी०आई० पाइप का प्रयोग किया जाये।
- 6-वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी० रखा जाये।

7-वाटर डिजाइन की गणना हेतु 55 LPCD+15% unaccounted water को लिया जाये।

8-ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टेण्ड पोस्ट का प्राविधान किया जाये।

9-एक फायर हाइड्रेंट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेंट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

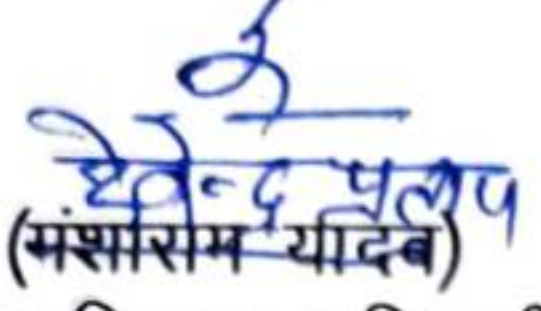
10-पम्प हाउस का साइज 10 बी०एच०पी० तक के पम्प हेतु 2.40m x 3.0m x 3.6m एवं 12.5 बी०एच०पी० से 40 बी०एच०पी० तक के पम्प हेतु 3.0m x 3.6m x 3.6m रखा जाये।

11-वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊंचाई 1.30 मी० रखी जाये एवं 3.6 मी० चौड़ाई का मेन गेट एवं 1.20 मी० चौड़ाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० में ली गई कार्यों की दरें SWSM द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की ₹० 6000.00 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कास्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत 20 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 हेतु औसतन ₹० 6000 से कम है, पर विचार किया जाना है। समस्त प्रस्तुत डी०पी०आर० की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गई एवं जांच में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु ग्राम डेहरा, दूधली, कुंआखेडा एवं ओलरा की डी०पी०आर० में प्रति व्यक्ति लागत में भिन्नता होने का स्थलीय परीक्षण टी०पी०आइ (आर०वी०एसोसिएट्स हैदराबाद) द्वारा करा लिया गया है जिसमें वास्तविक/सही स्थिति पाई गयी है जिसकी आख्या जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत कर निम्नलिखित 20 नग डी०पी०आर प्रेषित की गई है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में प्राविधानित FHTC की सं०	कुल वर्क कास्ट (₹० लाख में)	सेन्टेज (₹० लाख में)	कुल डी०पी०आर० लागत (₹० लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत (₹० लाख में)
1	Shajawna	Baliyakheri	1	616	298.55	33.32	331.87	5071.18
2	Kankarkooi	Baliyakheri	1	570	269.253	30.05	299.303	4453.407
3	SabdulpurShivdaspur	Baliyakheri	1	683	299.441	33.42	332.861	4410.68
4	Dudhli	Deoband	1	362	196.698	21.953	218.651	5134.38
5	Labkari	Deoband	1	810	309.19	34.508	343.698	3654.72
6	Babupur	Deoband	1	547	222.13	24.79	246.92	5094.76
7	Ransoor	Deoband	1	438	244.639	27.303	271.942	4892.78
8	Dehra	Deoband	1	354	169.22	18.89	188.1	5979.35
9	Kuwakhera	Rampur Maniharan	1	702	278.98	31.14	310.12	5501.45
10	Sawantkhedi	Rampur Maniharan	1	238	175.65	19.6	195.26	5494.21
11	Aulra	Nanauta	1	780	324.62	36.23	360.85	3341.43
12	RaniyalaDanyalpur	Nakur	1	690	355.45	39.67	395.12	4914.37
13	Punwarkha	Punwarkha	1	614	299.89	33.47	333.36	4483.33
14	Dhadkoli	Punwarka	1	329	199.917	22.312	222.229	5845.526
15	Amboli	Nagal	3	669	255.304	28.494	283.798	5733.303
16	Asanwali	Punwarka	1	657	265.207	29.599	294.806	4467.773
17	Wazirpur	Gangoh	1	320	162.129	18.095	180.224	5917.117
18	Tiwaya must.	Punwarka	1	818	307.888	34.363	342.251	5845.605
19	Devla	Punwarka	1	727	288.33	32.18	320.51	4019.657
20	RajpurLatifpur	Gangoh	1	311	156.188	17.432	173.62	5984.215
Total			22	11235	5078.7	566.819	5645.49	

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0-51/2021/1883/छियत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 5.00 करोड़ तक लागत की योजनाओं के प्राक्कलन को नियमानुसार जिला स्तर पर "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जिलाधिकारी एवं समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्रसारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

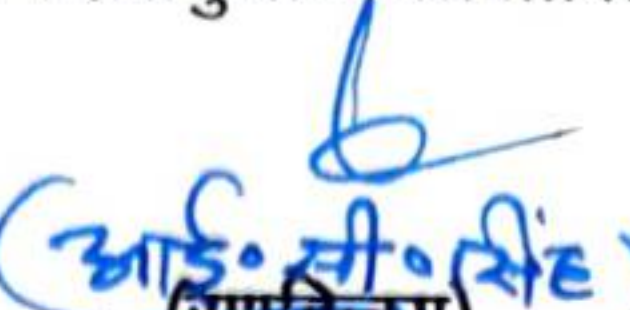

(मंजोराम यादव)
जिला विकास अधिकारी,
सहारनपुर (सदस्य)


(डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई, सहारनपुर
सहारनपुर (सदस्य)

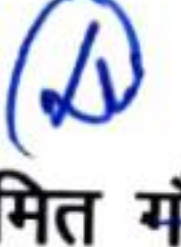

(धीरज कुमार)
जिला कृषि अधिकारी,
सहारनपुर (सदस्य)

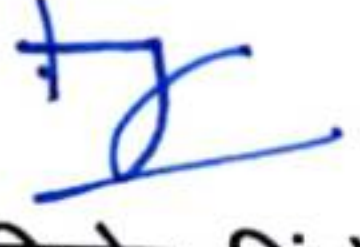

(प्रवीण कुट्टी)
अधिशासी अभियन्ता/(सदस्य सचिव)
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर/सहारनपुर

**Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Rural)
Muzaffarnagar (Saharanpur Distt.)**


(राजिव सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सहारनपुर (सदस्य)


(अवधिश कुमार)
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
सहारनपुर (सदस्य)

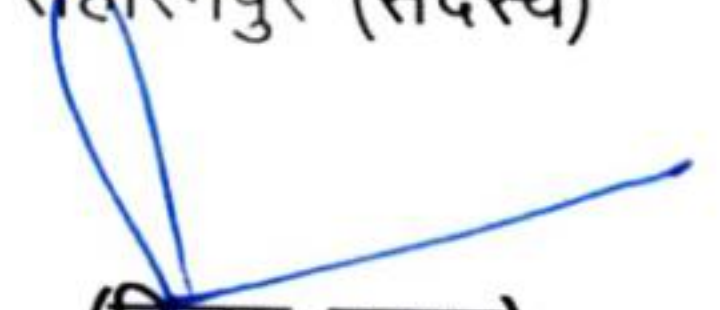

(अमित गौतम)
प्रभागीय सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
सहारनपुर (सदस्य)


(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी/(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति, सहारनपुर


(संजीव मांगलिक)
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सहारनपुर (सदस्य)


(समेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर (सदस्य)


(अमोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर,
सहारनपुर (सदस्य)


(विजय कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर (सदस्य)